उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-53/2018/400/92-2-2018-102(जॉच)/2017,
लखनऊ :: दिनांक:: 28 मार्च, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर/विन्ध्यांचल-मिर्जापुर मण्डल में अधीक्षण अभियन्ता तथा कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ मे जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्यरत रहने के दौरान अनावश्यक विस्तृत सूचनाएं मांगने तथा अमर्यादित आचरण एवं अनुशासनहीनता हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री ए0के0 गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0, परिमण्डल-विन्ध्यांचल-मिर्जापुर को आरोप पत्र देते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता (स्थापना-1), कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-53/2018/400(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- जॉच अधिकारी/ निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (स्थापना-1), कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- श्री ए0के0 गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0, परिमण्डल-विन्ध्यांचल-मिर्जापुर।
5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।